रिपोर्टेबल

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

एकलपीठ आपराधिक रिट याचिका संख्या 372/2022

जागेश्वर शर्मा पुत्र श्री मुकुट बिहारी शर्मा, वृद्ध लगभग उम्र 55 वर्ष, निवासी 85 सुल्तान नगर, गुर्जर की थड़ी जयपुर (राजस्थान)

(पर्यावरण अभियंता, राजस्थान सरकार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जयपुर दक्षिण) जयपुर)

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार, पी.पी. के माध्यम से
2. अध्यक्ष राजस्थान सरकार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्यालय 4 संस्थागत क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर 302004

----प्रत्यर्थी

अपीलार्थी (गण) की ओर से	:	श्री एस.एस. होरा
		श्री टी.सी. शर्मा
		श्री देवांशु गुप्ता
		सुश्री शुभी गौड़
प्रत्यर्थी(गण) की ओर से	:	श्री प्रशांत शर्मा, उप.जी.ए.
		श्री वैभव ठाकुरिया

माननीय श्रीमान न्यायमूर्ति बीरेंद्र कुमार

निर्णय सुरक्षित करने की तारीख : 20.10.2022

निर्णय उच्चारित करने की तारीख : 24.11.2022

1. इस याचिका में भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत, अपीलार्थी ने दिनांक 28.4.2020 को मुकदमा चलाने की मंजूरी के आदेश को इस आधार पर रद्द करने की प्रार्थना की है कि इस आदेश में स्वतंत्र रूप से दिमाग इस्तेमाल नहीं किया गया है। अपीलार्थी ने आगे संज्ञान के आदेश दिनांक 9.2.2021 को रद्द करने की मांग की है जो एक शून्य मंजूरी आदेश पर आधारित है। आगे प्रार्थना यह है कि अपीलार्थी ने निचली अदालत के समक्ष दिनांक 11.2.2022 को एक आवेदन दायर किया था जिसमें उस संस्वीकृति आदेश को अस्वीकार करने की प्रार्थना की गई थी जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संक्षेप में, 'पी.सी. अधिनियम') की धारा 19 की आवश्यकता के विरूद्ध है। दिनांक 10.05.2022 के आक्षेपित आदेश द्वारा, निचली अदालत ने आरोप तय होने तक याचिका की सुनवाई स्थगित कर दी।

2. रिट याचिका की पृष्ठभूमि यह है कि लीज होल्ड संपत्ति पर खनन का व्यवसाय करने वाले श्याम सिंह कटेवा ने पुलिस महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार-रोधी को एक शिकायत की थी। भ्रष्टाचार ब्यूरो ने 19.12.2019 को आरोप लगाया कि सह-आरोपी संजय कोठारी, क्षेत्रीय अधिकारी और अपीलार्थी जागेश्वर शर्मा, पर्यावरण अभियंता ने खनन संचालन के लिए सहमति आदेश प्रदान करने हेतु क्रमश: 50,000/- रुपये और 30,000/- रुपये की मांग की। एसीबी प्राधिकारी द्वारा आरोप का सत्यापन किया गया और उसमें सच्चाई पाते हुए, उसी दिन शाम को एक जाल का आयोजन किया गया। सह-अभियुक्त संजय कोठारी को कमरा संख्या 222 में उनके आधिकारिक चैंबर में 30,000/- रुपये लेते हुए पकड़ा गया था, हालांकि, कमरा संख्या 224 में बैठे अपीलार्थी को कमरा संख्या 222 में क्या हो रहा था, इसकी जानकारी मिल गई और वह फंसने से बच गया। अपीलार्थी के समक्ष शिकायतकर्ता की फाइल के लंबित होने सहित अन्य सामग्रियों के आधार पर, अपीलार्थी पर भी पी.सी. की धारा 7 के तहत अपराध में शामिल होने का संदेह था। तदनुसार, एफआईआर संख्या 394/2019 दर्ज की गई। मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य एकत्र करने के बाद, मामले की जांच पूरी हुई और आदेश दिनांक 11.02.2020 द्वारा, प्रत्यर्थी संख्या 2, अध्यक्ष, राजस्थान सरकार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जो मंजूरी देने में सक्षम थे, को संबोधित करते हुए एक अनुरोध किया गया था। पत्र बहुत विशिष्ट है कि अनुरोध एसीबी द्वारा जांच की पूरी रिपोर्ट और सबूतों का अध्ययन करना था और उसके बाद मंजूरी के लिए स्वतंत्र निर्णय

लेना था। अनुरोध पत्र अनुलग्नक-9 पर है। अनुरोध पत्र के साथ, मामले के इतिहास का विवरण, मौखिक गवाहों के साक्ष्य, जांच के दौरान एकत्र किए गए दस्तावेज और जांच के निष्कर्ष को भी मंजूरी देने वाले प्राधिकारी को प्रेषित किया गया था। एसीबी ने अनुरोध पत्र के साथ मंजूरी आदेश का ड्राफ्ट भी लगाया था। दिनांक 04.02.2020 को स्वीकृति के लम्बित प्रकरण पर निर्णय हेतु अनुस्मारक भेजा गया तथा इस पत्र के साथ एसीबी की जांच रिपोर्ट एवं अभियोजन हेतु प्रारूप भी स्वीकृति प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री एस.एस. होरा का कहना है कि मंजूरी देने वाले प्राधिकारी ने अपने स्वतंत्र दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत मसौदे से प्रभावित हो गया, इसलिए, अपीलार्थी के विरूद्ध मुकदमा चलाने की मंजूरी में स्वतंत्र रूप से दिमाग का प्रयोग नहीं किया जाना विधि की दृष्टि से दूषित है।

4. प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री वैभव ठाकुरिया ने कहा कि मंजूरी देने वाले प्राधिकारी का कहना है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 ने अपीलार्थी के कथनों को नकारते हुए एक अलग शपथ-पत्र दायर किया है और शपथ पर विशिष्ट बयान दिया है कि मुकदमा चलाने की मंजूरी रखे गए प्रारूप पर आधारित नहीं है, बजाय इसके एसीबी द्वारा एकत्र की गई सामग्री पर आधारित है, जिसमें अपीलार्थी और सह-अभियुक्तों द्वारा अपराध किए जाने का खुलासा किया गया है।

5. श्री प्रशांत शर्मा, उप.जी.ए. सरकार की ओर से दलील दी गई कि मंजूरी आदेश की वैधता की जांच करने के लिए यह उचित चरण नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने **केंद्रीय जांच ब्यूरो बनाम अशोक कुमार अग्रवाल, (2014) 14 एससीसी 295** में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया। जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनेश कुमार बनाम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और प्रकाश सिंह बादल बनाम पंजाब सरकार में पहले के दृष्टिकोण को दोहराया और कहा कि "हमारे विचार में, वर्तमान मामले के तथ्य के संबंध में, अब चूंकि ट्रायल जज द्वारा अपीलकर्ता के विरूद्ध पहले ही संज्ञान लिया जा चुका है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि उच्च न्यायालय ने मंजूरी की वैधता के सवाल को ट्रायल कोर्ट द्वारा विचार के लिए खुला छोड़ कर और स्वतंत्रता देकर गलती की है। अपीलकर्ता को मुकदमे के दौरान मंजूरी आदेश की वैधता से संबंधित मुद्दा उठाना होगा।

6. चूंकि आरोप पर सुनवाई के चरण में, निचली अदालत ने अपीलार्थी की समान प्रार्थना पर विचार नहीं किया, इसलिए यह न्यायालय उस पर गौर करने के लिए इच्छुक है। अनुलग्नक-5 में मंजूरी आदेश को ध्यान से देखने पर, यह स्पष्ट है कि मंजूरी देने वाले प्राधिकारी ने न केवल एफआईआर में बताए गए अभियोजन मामले को देखा, बल्कि पैरा 9 में, एसीबी द्वारा एकत्र किए गए गवाहों के साक्ष्य और दस्तावेजों पर भी विचार किया। जिन्हें विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

इस न्यायालय ने यह भी पाया कि मसौदा प्रत्येक पैराग्राफ से शुरू होता है कि 'इसे ध्यान में लाया गया था'। यह मंजूरी आदेश में नहीं है और न ही मंजूरी आदेश के पैराग्राफ ड्राफ्ट का शब्दशः पुन: उद्घृत है।

7. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने **कर्नाटक सरकार बनाम अमीर जनवरी (2007) 11 एससीसी 273** मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों पर भरोसा किया।:

> “10.....मंजूरी देने वाले आदेश से यह तथ्य प्रदर्शित होना चाहिए कि मंजूरी देने वाले की ओर से दिमाग का उचित प्रयोग किया गया है। अधिकार। हमने यहां पहले देखा है कि मंजूरी देने वाले प्राधिकारी ने केवल पुलिस महानिरीक्षक, कर्नाटक लोकायुक्त द्वारा की गई रिपोर्ट के आधार पर मंजूरी का आदेश पारित करने का इरादा किया था। यहां तक कि उक्त रिपोर्ट को भी रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया है। इस प्रकार, चाहे उक्त रिपोर्ट में, या तो उसके मुख्य भाग में या उसके साथ संबंधित दस्तावेजों को संलग्न करके, आईजी पुलिस कर्नाटक लोकायुक्त ने मामले की जांच पर एकत्र की गई सामग्रियों को रिकॉर्ड पर रखा था जो प्रथम दृष्टया संबंधित लोक सेवक द्वारा अपराध करने के संबंध में साक्ष्य के अस्तित्व को स्थापित करेगा जो स्पष्ट नहीं है। आमतौर पर, मंजूरी का आदेश पारित करने से पहले, आरोपी के विरूद्ध एकत्र की गई सामग्री वाले पूरे रिकॉर्ड को मंजूरी देने वाले प्राधिकारी के समक्ष रखा जाना चाहिए।

उपरोक्त मामला अलग है चूंकि वर्तमान मामले में मंजूरी के लिए अनुरोध पत्र और

संबंधित कागजात जिसमें गवाहों के बयान के सार सहित जांच के निष्कर्ष शामिल हैं, मंजूरी देने वाले प्राधिकारी के समक्ष रखे गए थे। मौजूदा मामले में मंजूरी आदेश एक मौखिक आदेश है जिसे मौखिक साक्ष्यों के साथ-साथ दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार करने के बाद पारित किया गया था।

8. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता **ने मनसुखलाल विट्ठलदास चौहान बनाम गुजरात सरकार (1997) 7 एसएससी 622** मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों पर भरोसा किया है।:

> "19. चूंकि "मंजूरी" की वैधता मंजूरी देने वाले प्राधिकारी द्वारा मामले के तथ्यों के साथ-साथ जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री और सबूतों पर दिमाग की प्रयोज्यता पर निर्भर करती है, इसलिए यह जरूरी है कि मंजूरी देने वाले प्राधिकारी को वास्तविक संतुष्टि के लिए कि अभियोजन को मंजूरी दी जानी है या नहीं के लिए अपना स्वतंत्र दिमाग लागू करना होगा। मंजूरी देने वाले प्राधिकारी पर किसी भी तरफ से दबाव नहीं होना चाहिए और न ही उस पर किसी भी तरह से निर्णय लेने के लिए कोई बाहरी ताकत काम कर रही होनी चाहिए। चूंकि मंजूरी देने या न देने का विवेक पूरी तरह से मंजूरी देने वाले प्राधिकारी में निहित है, इसलिए यह दिखाया जाना चाहिए कि उसका विवेक किसी भी बाहरी विचार से प्रभावित नहीं हुआ है। यदि यह दिखाया गया है कि मंजूरी देने वाला प्राधिकारी किसी भी कारण से, चाहे जो भी हो या किसी बाध्यता या दबाव या बाधा के कारण स्वीकृति प्रदान करने में अपना दिमाग इस्तेमाल करने में असमर्थ है तो दिया गया आदेश इस कारण से गलत होगा कि प्रधिकारी का "स्वीकृति न देने" का विवेक छीन लिया गया था और उसे यंत्रवत् अभियोजन को मंजूरी देने के लिए कार्य करने के लिए मजबूर किया गया था।"
>
> मौजूदा मामले में, मंजूरी देने वाले प्राधिकारी ने मंजूरी देने के निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले जांच के दौरान एकत्र किए गए सबूतों को ध्यान में रखा है, इसलिए, यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि मंजूरी आदेश

प्रस्तुत एसीबी के मसौदे से प्रभावित था। यह साबित करने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि मंजूरी देने वाला प्राधिकारी मंजूरी देने के लिए बाध्यता या मजबूरी या बाधा के तहत था।

9. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने इसके बाद इस न्यायालय के **हिमांशु यादव बनाम राजस्थान सरकार और मनीष माथुर बनाम राजस्थान सरकार में दिए गए निर्णयों पर भरोसा किया।** किसी विशेष मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्णय दिया जाता है जो रिकॉर्ड पर लाई गई सामग्री से प्रतिबिंबित होता है।

हिमांशु यादव (सुप्रा.) मामले में, इस न्यायालय की एक पीठ ने कहा कि मंजूरी आदेश में प्रासंगिक सामग्री पर विचार किए जाने और दिमाग के प्रयोग को प्रतिबिंबित किया जाना चाहिए। इस मामले में पारित मंजूरी आदेश उस सामग्री को दर्शाता है जिस पर विचार किया गया था और स्वतंत्र दिमाग का उपयोग किया गया था।

10. **मनीष माथुर** (सुप्रा.) के मामले में भी एसीबी ने मंजूरी के लिए ड्राफ्ट भेजा था। इस न्यायालय की एक पीठ ने कहा कि एसीबी उन सभी प्रासंगिक तथ्यों के बारे में सूचित कर सकती थी जिनके आधार पर अभियोजन मंजूरी दी जाती, लेकिन किसी भी मामले में एसीबी प्रस्तावित और मसौदा दस्तावेज के तहत अभियोजन मंजूरी देने का निर्देश नहीं दे सकती है।

मौजूदा मामले में, एसीबी ने उन सभी प्रासंगिक तथ्यों के बारे में सूचित किया था जिन पर अभियोजन ने भरोसा किया था और मंजूरी देने वाले प्राधिकारी को मंजूरी देने के लिए निर्देश या अनुरोध नहीं किया था, बल्कि विशेष रूप से मंजूरी देने वाले प्राधिकारी से अनुरोध किया था कि वह रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री का अध्ययन करें और मंजूरी प्रदान करने के लिए स्वतंत्र दिमाग लगाएं।

11. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने हवाला दिया है। कुछ तारीखों के संबंध में मंजूरी आदेश में मामूली और मुद्रण संबंधी त्रुटि थी जो प्रारूप में भी थीं तिथि की त्रुटि 20.01.2019 छपी थी जबकि तिथि 20.01.2020 होनी चाहिए थी। जाहिर है, यह त्रुटि टाइपोग्राफ़िकल गलती है क्योंकि घटना स्वयं 19.12.2019 को हुई थी, इसलिए, किसी भी परिस्थिति में, आदेश की तारीख 20.01.2019 नहीं होगी। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि ड्राफ्ट में गवाह का नाम रामेश्वर प्रसाद शर्मा है जिसे मंजूरी आदेश में दोहराया गया है,

हालांकि गवाह का असली नाम रमेशर प्रसाद जाट था। मुकदमे के दौरान यह तय किया जाएगा कि क्या एक ही व्यक्ति को दोनों नामों से जाना जाता है या दोनों दो अलग-अलग व्यक्ति हैं। विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि चार नमूने आर/1, आर/2, एल/1 और एल/2 के रूप में एकत्र किए गए थे जो दाएं और बाएं हाथ को दर्शाते हैं। हालाँकि, ड्राफ्ट और साथ ही मंजूरी आदेश में आर/2 का उल्लेख नहीं है। अन्य दुर्बलताओं का भी सारणीबद्ध चार्ट में उल्लेख किया गया है।

12. मुकदमा चलाने की मंजूरी देने का पूरा उद्देश्य आरोपी पर मुकदमा चलाने या मंजूरी से इनकार करने के लिए पर्याप्त सामग्री पर विचार करना है। जब तक कि न्याय में विफलता न हुई हो, कुछ तकनीकी और छोटी-मोटी त्रुटियाँ जो कभी-कभी निर्णय में भी हो जाती हैं, का मंजूरी आदेश की पवित्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अपीलार्थी ने यह नहीं दर्शाया है कि उपरोक्त दोषों/त्रुटियों के कारण न्याय में विफलता हुई है।

13. सी.**बी.आई. में बनाम अशोक कुमार अग्रवाल (सुप्रा.),** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने माना कि न्याय की विफलता मंजूरी देने में त्रुटि या अनियमितता से संबंधित होगी। हालाँकि, मंजूरी में मात्र त्रुटि या अनियमितता को तब तक घातक नहीं माना जाता जब तक कि इसके परिणामस्वरूप न्याय में विफलता न हुई हो या ऐसा न हुआ हो। न्याय की विफलता सही मायने में होनी चाहिए न कि छद्म तर्क में माननीय उच्चतम न्यायालय ने ऐसा कहा:

> **15.** सामग्री पर विचार करने से मस्तिष्क का प्रयोग निहित होता है। इसलिए, मंजूरी के आदेश में पूर्व दृष्टया यह खुलासा होना चाहिए कि मंजूरी देने वाले प्राधिकारी ने उसके सामने रखे गए साक्ष्य और अन्य सामग्री पर विचार किया था। प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में, अभियोजन पक्ष को साक्ष्य पेश करके न्यायालय को स्थापित और संतुष्ट करना होता है कि उन तथ्यों को मंजूरी देने वाले प्राधिकारी के समक्ष रखा गया था और प्राधिकारी ने उस पर अपना दिमाग लगाया था। यदि मंजूरी आदेश सीधे तौर पर इंगित करता है कि सभी प्रासंगिक सामग्री यानी एफआईआर, प्रकटीकरण बयान, रिकवरी मेमो, ड्राफ्ट चार्ज शीट और

रिकॉर्ड पर अन्य सामग्री मंजूरी देने वाले प्राधिकारी के समक्ष रखी गई थी और यदि यह मंजूरी आदेश के पाठ से और भी स्पष्ट है कि मंजूरी देने वाले प्राधिकारी ने सभी सामग्रियों का अवलोकन किया, जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मंजूरी कानून के अनुसार दी गई थी। यह उस स्थिति में आवश्यक हो जाता है जब न्यायालय को अन्य बातों के साथ-साथ मंजूरी के आदेश की वैधता की जांच इस आधार पर करनी होती है कि आदेश पूरी तरह से दिमाग का उपयोग न करने के दोष से ग्रस्त है।

(गोकुलचंद द्वारकादास मोरारका बनाम राजा एमएएनयू/पीआर/0001/1948: एआईआर 1949 पीसी 82; जसवन्त सिंह बनाम पंजाब सरकार एमएएनयू/एससी /0050/1957: एआईआर 1958 एससी 124; मो. इकबाल अहमद बनाम आंध्र प्रदेश सरकार ए.पी. एमएएनयू/एससी/0181/1979: एआईआर 1979 एससी 677; भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो महाराष्ट्र सरकार के माध्यम से सरकार, बनाम कृष्णचंद खुशालचंद जगतियानी एमएएनयू /एससी/0476/1996: एआईआर 1996 एससी 1910; पंजाब सरकार बनाम मोहम्मद इक़बाल भट्टी एमएएनयू/एससी/1352/2009: (2009) 17 एससीसी 92; सत्यवीर सिंह राठी, एसीपी बनाम सरकार एमएएनयू/एससी/0546/2011: एआईआर 2011 एससी 1748; और महाराष्ट्र सरकार बनाम महेश जी. जैन एमएएनयू/एससी/0561/2013: (2013) 8 एससीसी 119) के तहत।

16. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, विधिक प्रस्तावों को निम्नानुसार संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है:

16.1 अभियोजन पक्ष को एफआईआर, प्रकटीकरण बयान, गवाहों के बयान, रिकवरी मेमो, ड्राफ्ट चार्ज शीट और अन्य सभी प्रासंगिक सामग्री सहित संपूर्ण प्रासंगिक रिकॉर्ड मंजूरी देने वाले प्राधिकारी को भेजना होगा। इस प्रकार भेजे गए रिकॉर्ड में वह सामग्री/दस्तावेज़, यदि कोई हो, भी होना चाहिए, जो संतुलन को आरोपी के पक्ष में झुका सकता है और जिसके आधार पर, सक्षम प्राधिकारी मंजूरी

देने से इनकार कर सकता है।

16.2 प्राधिकरण को स्वयं अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत पूरे रिकॉर्ड की स्वतंत्र मस्तिष्क द्वारा पूरी और सचेत जांच करनी होती है, और मंजूरी देने या रोकने के अपने कर्तव्य का निर्वहन करते समय मंजूरी देने से पहले सभी प्रासंगिक तथ्यों को ध्यान में रखना होता है।

16.3 मंजूरी देने की शक्ति का प्रयोग सख्ती से सार्वजनिक हित और उस आरोपी को उपलब्ध सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए जिसके विरूद्ध मंजूरी मांगी गई है।

16.4 मंजूरी के आदेश से यह स्पष्ट होना चाहिए कि प्राधिकारी को सभी प्रासंगिक तथ्यों/सामग्रियों की जानकारी थी और उसने सभी प्रासंगिक सामग्रियों पर अपना दिमाग लगाया था।

16.5 प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में, अभियोजन पक्ष को प्रमुख सबूतों के साथ न्यायालय को स्थापित और संतुष्ट करना होगा कि संपूर्ण प्रासंगिक तथ्य मंजूरी देने वाले प्राधिकारी के समक्ष रखे गए थे और प्राधिकारी ने उस पर अपना दिमाग लगाया था और मंजूरी कानून के अनुसार दी गई थी।

14. **एल. नारायण स्वामी बनाम कर्नाटक सरकार और अन्य (2016) 9 एससीसी 598**, में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि मंजूरी की आवश्यकता केवल तभी होगी जब आरोपी हो कथित अपराध का संज्ञान लेने की तिथि पर उक्त कार्यालय में रहा हो। यदि संज्ञान की तिथि पर, अभियुक्त ने कथित अपराध के समय लोक सेवक के रूप में अपना पद धारण करना बंद कर दिया, तो उसके अभियोजन के लिए मंजूरी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, भले ही वह उसके बाद भी विभिन्न कार्यालयों में विभिन्न पदों पर लोक सेवक रहा हो।

रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं लाया गया है कि अपीलार्थी भविष्य में इस मुद्दे के संज्ञान की तारीख पर उसी कार्यालय में बना हुआ था, ट्रायल जज को इसकी जांच करनी है और रिकॉर्ड पर सामग्री के आधार पर एक तर्कसंगत आदेश पारित करना है।

15. यह स्पष्ट है कि जांच के दौरान एकत्र की गई संपूर्ण प्रासंगिक सामग्री का सार

मंजूरी देने के अनुरोध पत्र के साथ मंजूरी देने वाले प्राधिकारी के समक्ष रखा गया था। अनुरोध पत्र इतना स्पष्ट है कि मंजूरी देने वाले प्राधिकारी से सामग्री का अध्ययन करने और अपना स्वतंत्र दिमाग लगाने का अनुरोध किया गया है। मंजूरी आदेश से पता चलता है कि सक्षम प्राधिकारी ने सर्तकतापूर्वक अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत पूरे रिकॉर्ड की जांच की है और मंजूरी देने से पहले सभी प्रासंगिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपना स्वतंत्र दिमाग लगाया है। रिकॉर्ड इस बात की पुष्टि नहीं करता है कि मंजूरी देने वाला प्राधिकारी केवल अभियोजन पक्ष द्वारा मंजूरी आदेश का मसौदा पेश करने से पूर्वाग्रहग्रस्त था या किसी बाहरी दबाव और अनुनय के कारण किसी भी तरह से स्वतंत्र नहीं था। छोटी-मोटी विसंगतियों के कारण न्याय में कोई विफलता नहीं हुई है या मामले की जड़ तक कोई बात नहीं पहुंची है।

16. इसलिए, इस न्यायालय का मानना है कि अपीलार्थी के विरूद्ध मुकदमा चलाने की मंजूरी का दिनांक 28.04.2020 का आदेश मस्तिष्क का प्रयोग नहीं किए जाने से प्रभावित नहीं है नतीजतन, इस आधार पर संज्ञान आदेश रद्द नहीं किया गया है।

17. परिणामस्वरूप, इस न्यायालय को इस याचिका में कोई योग्यता नहीं मिलती है, तदनुसार, इसे खारिज कर दिया जाता है।

(बीरेंद्र कुमार), न्यायमूर्ति

Brij Mohan Gandhi/77/37

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म **राजभाषा सेवा संस्थान** द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल**,** द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।